न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–13/2025

राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

संचालक इंद्रा रसोई, सूरतगढ

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 धारा 6 ए

–:निर्णयः–

दिनांकः–05.05.2025

यह परिवाद सरकार की ओर से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अप्रार्थी संचालक भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति, 9 एलपीएम रायसिंहनगर द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः–यह है कि अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ का पत्रांक 476 दिनांक 24.08.2022 एवं फर्द मौका दिनांक 16.08.2022 अनुसार अति जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्देशानुसार 16.08.2022 को तहसीलदार अनूपगढ़ पटवारी हल्का 2 पीजीएम बी के साथ डॉ भीमराव अम्बेडकर शिक्षा समिति 9 एलपीएम रायसिंहनगर द्वारा संचालित इन्द्रा रसोई योजना के अन्तर्गत प्राप्त गेंहू स्टॉक का निरीक्षण किया गया। उक्त गेंहू का स्टॉक रिको एरिया फेज–प्रथम लुहानीवाल इण्डस्ट्रीज अनूपगढ के गोदाम में रखा हुआ था जो कि किराये पर लिया हुआ था। मौका निरीक्षण पर गोदाम में रखे गेंहू कट्टों का भौतिक सत्यापन करने पर 886 कट्टे(445 क्विंटल) पूरे गेंहू से भरे हुए मिले तथा लगभग 2 क्विंटल गेंहू खुला मिला। सोसायटी के संचालक ने बताया कि 26 क्विंटल आटा गत दो माह के दौरान गुरूनानक इंटरप्राईजेज इन्द्रा रसोई श्री विजयनगर को दिया गया बताया जो कि अनुचित है। दिनांक 26.05.2022 को 256 क्विंटल 81 किलो दिनांक 20.07.2022 को 338 क्विंटल दिनांक 31.07.2022 को 188 क्विंटल 55 किलो कुल 783 क्विंटल 36 किलो गेंहू प्राप्त होना बताया। मौके पर कोई रिकॉर्ड संधारित किया हुआ नही मिला एवं मौका पर ही संचालक की उपस्थिति व अन्य उपस्थित मौतबिरान के समक्ष गोदाम को सील किया गया एवं संचालक को पाबंद किया गया कि किसी भी स्थिति में किसी सक्षम आदेशों के बिना नही खोला जावें तथा गोदाम को प्रदीप कुमार पुत्र मोहन लाल का सुपुर्द किया गया। अतः परिवादानुसार अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की धारा 6 ए के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि इन्द्रा रसोई के लिए आवंटित एनएफएसए योजना का गेहूँ श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, के आदेशनुसार प्राप्त किया गया था। जो कि दिनांक 16.08.2022 को बाकी बचा 463.20 क्विटल गेहूँ वापस ले लिया गया। जब्त गेहूँ को माप करवाकर व्यवस्थापक क्रय– विक्रय सहकारी समिति, अनूपगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को प्रार्थना पत्र द्वारा दिनांक 18.08.2022 को अवगत करवाकर की गेहूँ मेरे गोदाम से उठाकर की भी स्थानांतरण किया जावें। पूर्व में श्रीमान् जिला कलक्टर एवं आयुक्त नगर परिषद को अवगत करवा चुका हूँ।

प्रकरण में दिनांक 18.03.2025 को क्रय– विक्रय सहाकरी समिति, अनूपगढ़ के गोदाम का निरीक्षण श्री हेतराम खाघ सुरक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर के भंडारण गेहूँ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में 913 बैग गेहूँ( प्रत्येक 50 किलो) भंडारित किया हुआ पाया गया। जांच के दौरान पाया कि भंडारित गेहूँ में इलिया थी क्षतिग्रस्त(Damaged) भी था। Randomly 8 बैग को खोलकर नियमानुसार सैम्पल(सर्विलैंस) लेकर गुणवता परीक्षण हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को भिजवाया गया।

अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक–560 दिनांक 25.04.2025 के रिपोर्ट मुताबिक उक्त भिजवाये गये सैम्पल की जांच रिपोर्ट में उक्त गेहूँ को Unsafe बताया गया है, लेब की जांच रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

गोदाम में संग्रहित गेहूँ के संबंध में पशु चिकित्सक, अनूपगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पशु चिकित्सक, अनूपगढ़ निरीक्षण के दौरान गोदाम में 913 बैग गेहूँ भंडारित किये हुए पाये गये निरीक्षण के दौरान कुछ बैग को खोलकर देखा तो उनमें कई तरह के इंसेक्ट पाये गये। गेहूँ क्षतिग्रस्त एवं कुछ गेहूँ के बैग का इलियों द्वारा आटा बना हुआ पाया गया एवं गेहूँ घून से संक्रमित होने के कारण अप्रिय गंध पाई गई एवं प्रथम दृष्टया यह गेहूँ पशुओं के उपयोग में लिया जाना उचित नही बताया गया।

उपरोक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही होने एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर करवायी जांच एवं पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट के आधार क्रय विक्रय सहकारी समिति अनूपगढ के गोदाम में भण्डारित गेहूं उपभोक्ता एवं पशुधन के स्वास्थ्य हित में नहीं होने के फलतः भंडारित गेहूँ को राजसात किया जाता है। चूंकि भण्डारित गेहूं उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार आयुक्त, नगरपरिषद श्रीगंगानगर की सम्पत्ति होने के कारण आयुक्त, नगरपरिषद श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भण्डारित गेहूं का विधिवत निस्तारण करते हुए रिपोर्ट श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तक निरीक्षक, सूरतगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को कार्मिक/संचालक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पृथक से पत्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक–05.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़